अध्याय प्रथम
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 सर्व शिक्षा अभियान

1.3 बस्तिशाला का स्वरूप

1.4 समस्या कथन

1.5 शोध अध्ययन की आवश्यकता

1.6 शोध अध्ययन के उद्देश्य

1.7 शोध की परिकल्पनायें

1.8 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा

1.9 अध्ययन का सीमांकन

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा से व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक विकास होने में मदद होती है। शिक्षा के बिना तो व्यक्ति ''बिना आत्मा के शरीर'' के समान है। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय विकास एवं उत्पादनशीलता की दृष्टि से आज विश्व का हर राष्ट्र कर रहा है। भारतवर्ष में एक ओर शिक्षा संस्थाओं का जाल–सा बिछा हुआ है, वहीं दुसरी ओर देश में ऐसे अनेक बच्चे है, जो शिक्षा से वंचित रह जाते है।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में शिक्षा का अद्वितीय योगदान होता है। इसलिये राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक पुर्ननिर्माण की गति में तीव्रता लाने के लिये राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक शैक्षणिक नियोजन और उसका निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है। **गांधीजी के मतानुसार** – ''किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसकी नींव है– 'प्राथमिक शिक्षा' गांधीजी ने समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा से जोड़ने हेतु बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया परंतु आज भी समाज में निरक्षरता विद्यमान है। निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को घरेलू वातावरण साहित्यिक शिक्षा के अनुकूल नहीं है। ऐसे में यदि उन्हें किसी व्यवसाय के माध्यम से ज्ञानार्जन की बात कही जाये तो यह वर्ग शिक्षा से जुड़ने का यथासंभव प्रयास करेगा। निश्चित अवधि में प्राप्त की गई, इस शिक्षा के बाद जिन छात्रों की रूचि हो वे साहित्यिक विषयों से जुड़ने के लिये स्वतंत्र है और जिनकी रूचि अध्ययन में नहीं वे यहां पर कोई उत्पादन कार्य को व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं''।

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान की 45वीं धारा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान

करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में इसके लिये संकल्प किया गया है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने 1998 में यह संकल्प किया गया है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा 1998 में यह संकल्प किया कि, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालित की जानी चाहिये। इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना विकसित की गई, जिससे सभी को प्रारंभिक/प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसको नवंबर 2000 में मंजूर किया गया। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। जिसमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों के अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में निवासरत बालक/बालिकाओं को शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें ऑपरेशन ब्लैंक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समस्या सभी के लिये शिक्षा, जुम्बिश योजना, ब्रिजकोर्स, नॉन ब्रिजकोर्स, स्कूल चलें हम, मध्यान्ह भोजन, शिक्षा गारंटी योजना, कस्तूरबा गांधी योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रतिस्थापित राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूर्ण करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस दिशा में नियोजित प्रयासों हेतु कुछ बुनियादी आगतों (इनपुट) जैसे– विद्यालयरहित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की जाये। **डॉ. डी.एस. कोठारी कमिशन के अनुसार** – ''भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि, यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्पविज्ञान पर आधारित इस दुनिया में, शिक्षा लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूल और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगा जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।''

भारत वर्ष में बहुत से प्रयास किये जा रहे है कि, सौ प्रतिशत लोग शिक्षित हो। उसके लिये बहुत से स्कूलों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि देश में शिक्षा का स्तर बढ़ सके। परंतु इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ हद तक शिक्षा का स्तर बढ़ाने में सरकार असफल रही। इसलिये सरकार ने स्कूलों के निर्माण के साथ-साथ विविध ''शिक्षा हमी योजना'' (Education Guarantee Scheme) A.I.E. निर्माण किया ताकि शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्री हो सके।

प्राथमिक स्तर के क्षेत्र में मौलिक प्रगति के बावजूद वर्ष 2000 में लगभग 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उसमें भी लगभग 50 प्रतिशत बच्चे आठवीं कक्षा तक आते-आते स्कूल छोड़ जाते थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने विविध योजनाओं को एक करके ''सर्व शिक्षा अभियान'' में सम्मिलित किया और ''सबको शिक्षा'' (Education for all) का उद्देश्य सामने रखा है। बस्तिशाला सर्वशिक्षा अभियान के तहत चलने वाली एक शिक्षा हमी योजना है।

परमानंद सिंह यादव, लालधारी यादव : (भारतीय आधुनिक शिक्षा) ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्टतः ज्वलंत रूप से वर्तमान की प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं को रेखांकित किया गया है। 'सबके लिये शिक्षा' (Education for all) को भारत की भौतिक और अध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता बताया गया है। जिसकी सहायता से संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र की प्राप्ति हो सकती है। प्रमुख शैक्षिक समस्याओं की पहचान निम्नलिखित रूप में की गई है- महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग का शैक्षिक विकास, अल्पसंख्यक विकलांगों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा, शिक्षा पुनर्गठन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना इत्यादि।

1.2 सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। एक दुसरा उद्देश्य स्कूलों को इस प्रकार बनाना है, जिससे क्षेत्रीयता और लिंगभेद समाप्त हो जाए। उसके लिये स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की भागीदारी को क्रियान्वित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान में बस्तिशाला का निर्माण किया गया है।

1.2.1 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन् 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। एक दूसरा उद्देश्य स्कूलों को इस प्रकार बनाना है, जिससे क्षेत्रियता और लिंग भेद समाप्त हो जाये। उसके लिये स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की भागीदारी को क्रियान्वित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करना है :-

1.2.2 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

- 2003 तक 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चे स्कूल में हों।
- 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिये 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करना है।
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्राथमिक स्तर पर 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अंतराल और सामाजिक श्रेणीगत विषमतायें समाप्त करना है।
- 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखें।

1.2.3 सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता

- यह बेसिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास है।
- यह पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंध समितियों, ग्राम तथा शहरी, गंदी बस्तियों की शिक्षा समितियों, शिक्षक–अभिभावक संघ, मदर टीचर संघ तथा कबायली स्वायत परिषदों को प्रारंभिक स्कूलों के प्रबंध में शामिल करने का प्रयास है।
- यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिये राजनीतिक संकल्प की एक अभिव्यक्ति है।
- यह केन्द्र राज्य तथा स्थानीय शासन की साझेदारी का एक संकल्प है।
- यह प्रारंभिक शिक्षा के विकास तथा राज्यों के लिये एक अवसर है।
- यह सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता है।
- यह संस्थागत क्षमता के निर्माण पर बल देता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- इसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचे में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना को आधार बनाया गया है।
- इस अभियान की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

1.2.4 सबके लिये शिक्षा का घोषणा पत्र

मार्च 1990 में जोमेतियन, थाइलैंड में आयोजित 'सबके लिये शिक्षा' संबंधी विश्व सम्मेलन में एक घोषणा पत्र द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सबके लिये शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के कारगर उपाय करने की मांग की गई।

1.2.5 सबके लिये शिक्षा अभियान के प्रमुख निर्णायक अंग

- शिक्षकों की नियुक्ति
- शिक्षक प्रशिक्षण
- प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- शिक्षण–अधिगम सामग्री का प्रावधान
- ब्लाक कक्षों तथा विद्यालय भवनों का निर्माण, शिक्षा गारंटी केन्द्रों की स्थापना करना।

1.2.6 प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण

वर्तमान समय में भारत की प्रारंभिक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में से एक है, किन्तु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। विश्व के प्रौढ़ निरक्षर के 20 प्रतिशत भारत में है। अतः देश में साक्षरता स्तर को सुधारने के लिये सभी के लिये शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को शामिल किया गया, जबकि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 आयुवर्ग के बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। इसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ होगी एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य है, जिसमें पर्याप्त महिलायें होंगी। जनसांख्यिकी दबाव के कारण यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। यह केवल सन 2050 तक के लिये है।

1.2.7 सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2006-07 तक कुल वास्तविक खर्चा 32,709 करोड़ 74 लाख रूपये तक हुआ। जिसमें से अभी तक सर्वाधिक व्यय वर्ष 2006-07 में 11,000 करोड़ है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे काफी हद तक पूरा किया जा चुका है।
- इससे सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के लिये एक शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रावधान रखा गया है।
- बच्चों को दोपहर के भोजन में 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। इसके अलावा इसमें लोहा, फोलिक एसिड और विटामिन-ए जैसे सूक्ष्म पौष्टिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में दिये जाने की व्यवस्था रखी गई है।
- इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 6,66,840 शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है तथा सभी शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन का आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
- इस अभियान के अंतर्गत 9.72 लाख विद्यमान निम्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों व उनमें कार्यरत 36.95 लाख शिक्षकों को भी सम्मिलित किया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्राथमिक स्कूलों में नामांकन की दर में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सर्व शिक्षा अभियान के संचालन के फलस्वरूप निम्न प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत बढ़कर 108.56 तक पहुंच गया है।

- वर्ष 2001 में 6-11 वर्ष के 4 करोड़ 22 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 2007 में ऐसे बच्चों की संख्या घटाकर 39 लाख 76 हजार रह गई।
- बालिकाओं की नामांकन की दर 43.7 प्रतिशत (2001) से बढ़कर 46.7 प्रतिशत (2005) हुई है, और बालक-बालिकाओं के नामांकन में अंतर 19 से घटकर 6 प्रतिशत रह गया है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों के नामांकन के अनुपात में क्रमशः 25.6 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2006-07 तक 1,33,928 नये प्राथमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य था, इनमें से 31-3-2007 तक 1,10,217 (83.2 प्रतिशत) स्कूल खोले जा चुके है।
- इस अवधि में 1,25,918 विद्यालयों के भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित था, इनमें से 1,10,125 भवनों का निर्माण पूरा किया गया है।
- वर्ष 2006-07 तक की अवधि में देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में 2,81,001 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया है।
- इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 1,50,202 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराई गई है तथा वहां 1,93,608 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है।
- 6 करोड़ 69 लाख मुफ्त पुस्तकें देने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से 6 करोड़ 40 लाख पुस्तकें वितरित की गई।
- 10 लाख 12 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से 7 लाख 95 हजार शिक्षक नियुक्त कर लिये गये है।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल व्यय 1,81,544 करोड़ रूपये व्यय किये जाने के अनुमान लगाये हैं।

1.2.8 सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम

1. ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहां कोई स्कूली सुविधा नहीं है।
2. अतिरिक्त कक्षायें खोलना
3. शौचालय बनाना।
4. पेयजल की व्यवस्था करना।
5. अनुरक्षण अनुदान देना
6. स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को दृढ़ करना।
7. शिक्षकों की कमी दूर करना।
8. अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना
9. कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना
10. निःशुल्क शिक्षा अनेक प्रोत्साहन योजनायें चलाना।

1.3 बस्तिशाला का स्वरूप

बस्तिशाला अनौपचारिक है, इसमें बहुवर्ग अध्यापन किया जाता है। इसे शुरू करने के लिये ग्रामशिक्षा समिति को प्रस्ताव भेजना जरूरी होता है। बस्तिशाला में राज्यशासन के कक्षा 1 से 4 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। बस्तिशाला नियमित प्राथमिक स्कूलों के जैसे पूरे समय (Full time) तक चलती/लगती है। इस पर नजदीकी जिला परिषद के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों के नियंत्रण में रहता है।

1.3.1 बस्तिशाला के उद्देश्य

- जहां 1 या 2 कि.मी. के अंदर स्कूल नहीं है, वहां के बच्चों को शिक्षित करना।
- जिनके माता-पिता ईंटों के भट्टे, पत्थरों की खान या दुर्गम तथा अतिदुर्गम भागों में निवास करते है, ऐसे बच्चों को शिक्षित करना।
- जहां पर स्कूलों में जाने के लिये नदी, नैहर एवं जाने के लिये चढ़ान या ढ़लान या फिसलनभरा रास्ता हो ऐसे गाँवों के बच्चों को शिक्षित करना।
- 6 से 14 आयु वर्ग के सभी छात्रों/बच्चों को शिक्षित करना।
- जिला परिषद स्कूल की सभी सुविधायें मुहैया कराना।
- शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- छात्रों को हंसते-खेलते पाठ्यक्रम से अवगत कराकर उनमें शिक्षा की रूचि निर्माण करना।
- विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करके शिक्षा के मुख्य प्रवाह में भर्ती कराना।

1.3.2 बस्तिशाला का व्यवस्थापन एवं प्रशासन

- बस्तिशाला शुरू करने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी ग्रामपंचायत, ग्राम शिक्षा समिति/प्रभाग शिक्षा समिति के पास रहती है।
- बस्तिशाला में अध्यापन करने वाले स्वयंसेवक (Para Teacher) अध्यापक की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी ग्रामशिक्षा समिति पर निर्भर रहती है।
- ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/प्रभाग शिक्षा समिति के अध्यक्ष और शिक्षा समिति के सचिव (प्रधानाध्यापक, प्राथमिक स्कूल) उनके नाम से संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है।

1.3.3 बस्तिशाला शुरू करने की कसौटी/पद्धति

- जहां 1 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहां बस्तिशाला शुरू की जाती है। जरूरत पड़ने पर यह नियम कुछ हद तक लचीला (Flexible) कर दिया जाता है।
- बस्तिशाला में कक्षा 1 से 4 तक कम से कम 15 छात्रों का रहना अनिवार्य है। परंतु अपवादात्मक स्थिति में छात्रों की संख्या 15 से घटाकर 10 कर दी जाती है।
- बस्तिशाला शुरू करने के लिये ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/प्रभाग शिक्षा समिति को मुफ्त में जगह और भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना पड़ता है।

1.3.4 बस्तिशाला की अवधि

- बस्तिशाला नियमित रूप से चलने वाली स्कूलों की तरह कम से कम 200 दिनों तक शुरू रहेंगी।
- बस्तिशाला का समय ग्राम शिक्षा समिति/शिक्षा समिति तय करती है। परंतु दिन भर में नियमित स्कूल जितने घंटे तक चलती है, उतने ही घंटे बस्तिशाला को चलाना जरूरी है।

1.3.5 बस्तिशाला का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें

बस्तिशाला में कक्षा 1 से 4 तक को महाराष्ट्र शासन द्वारा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ाये जाते है। बस्तिशाला में जिला परिषद के 1 से 4 तक छात्रों को जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दिये जाते है, वैसे ही मुफ्त पाठ्यपुस्तकें बस्तिशाला के छात्रों को दिये जाते है।

1.3.6 बस्तिशाला के स्वयंसेवकों की नियुक्ति

- स्वयंसेवी शिक्षक (Para Teacher) स्थानीय उम्मीदवार को चुना जाता है। महिलाओं को प्रथम प्राधान्य दिया जाता है।
- स्वयंसेवी शिक्षकों की पात्रता शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड.) होनी चाहिये।
- डी.एड. उम्मीदवार नहीं मिला तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण स्थानीय उम्मीदवारों को चुने जायेंगे।
- डी.एड. और 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार अगर नहीं मिलते है, तो नजदीक के गाँव के उम्मीदवार जो 12वीं उत्तीर्ण है, उसे चुना जायेगा।

1.3.7 स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण : (Training of Para Teacher)

- स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन के तहत जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है।
- बस्तिशाला के स्वयंसेवी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये आया हुआ फंड जिला परिषद/नगर निगम जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के पास परस्पर भेजना पड़ता है।
- स्वयंसेवी शिक्षकों को 20 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार से सम्मेलन/केन्द्र सम्मेलन में सहभागी होकर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाता है।

1.3.8 बस्तिशाला के लिये दिया जाने वाला अनुदान

बस्तिशाला को प्रतिवर्ष नीचे दिये गये कोष्ठक के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।

अ)	बस्तिशाला स्वयंसेवी शिक्षकों का मानधन रु. 1000x10	रु. 10,000/-
ब)	शिक्षक प्रशिक्षण	रु. 1,000/-
क)	सादील खर्च	रु. 1,000/-
ड)	पाठ्यपुस्तकें रु. 70/- प्रतिछात्र 15 छात्र	रु. 1,050/-
	कुल	13,050/-

1.4 समस्या कथन

बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन।

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसलिये (S.S.A) सर्व शिक्ष अभियान के अंतर्गत विविध योजनाओं का निर्माण किया गया है, जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है।

'बस्तिशाला' सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाली शिक्षा गारंटी योजना (E.G.S) है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक को स्वयंसेवी शिक्षक (Para Teacher) कहा जाता है, जो मानदेय लेकर काम करता है। 'बस्तिशाला- एक अनौपचारिक स्कूल के रुप में चलाई जा रही है। उसमें कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है।

बस्तिशाला पर अभी तक ज्यादा शोध कार्य नहीं हुये है। बस्तिशाला में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावी ढंग से हो रही है या नहीं जैसे अन्य स्कूलों में हाती है। अगर वे शिक्षित हो रहे है, तो उनको शिक्षा के मुख्य प्रवाह में शामिल किया जा रहा है या नहीं? वे छात्र शिक्षा के मुख्य प्रवाह में शामिल होने के बाद फिर से स्कूल में जा रहे हैं

या नहीं। बस्तिशाला के जो उद्देश्य है वे पूर्ण हो रहे है या नहीं। सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदेय का सही ढंग से प्रयोग/उपयोग हो रहा है या नहीं ?

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये 'बस्तिशाला' में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन विषय का चयन किया गया है।

1.5 शोध अध्यन की आवश्यकता

भारतवर्ष में अनेक ऐसे छोटे-छोटे गाँव हैं, जहां केवल 30-40 घरों की बस्तियाँ होती हैं। वहाँ पर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल नहीं है। वहाँ पर शिक्षा की सुविधा नहीं है। इसलिये वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनको शिक्षित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जिन बस्तियों में जिला परिषद प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहाँ पर्याय रूप में 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत बस्तिशालाओं का निर्माण किया गया है।

बस्तिशालाओं में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उचित रूप से हो रही है या नहीं ? अगर उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी हो रही है तो उन छात्रों को कक्षा-4 उत्तीर्ण होने के बाद कक्षा-5 में भर्ती कराया जा रहा है या नहीं ? इस प्रकार बस्तिशाला का प्रभाव शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़ रहा है या नहीं ? बस्तिशाला के कितने छात्रों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में (Main stream) नामांकन हुआ है ? और वे हर रोज स्कूल में जाते है या नहीं ? इस प्रकार बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उसका शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करना आवश्यक है।

1.6 शोध अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

1. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
2. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
3. नाविण्यपूर्ण स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
4. जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
5. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
6. नाविण्यपूर्ण स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
7. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
8. बस्तिशाला में अध्ययन के बाद शिक्षा के मुख्य प्रवाह में छात्रों के ठहराव की जानकारी प्राप्त करना।
9. बस्तिशाला में से उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़नेवाले प्रभाव का पता लगाना।

1.7 शोध की परिकल्पनायें

1. मराठी विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
2. मराठी विषय की मौखिक उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
3. मराठी विषय की लिखित एवं मौखिक (समग्र) उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

4. गणित विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

5. मराठी विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

6. मराठी विषय की मौखिक उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययरत छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

7. मराठी विषय की लिखित और मौखिक (समग्र) उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

8. गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

1.8 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा

1.8.1 बस्तिशाला

अ) "छोटी-छोटी बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लघु शालायें।"

ब) "जिन छोटी-छोटी बस्तियों में औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लघु/अनौपचारिक शालाओं को बस्तिशाला कहते है।"

1.8.2. नाविण्यपूर्ण स्कूल

"जो बस्तिशालायें 5-7 साल पूरे करके अपना काम व्यवस्थित रूप से कर रही है, और उनमें पदविका (D.Ed) शिक्षक नियुक्त किये गये है। और उन बस्तिशालाओं में ज्यादा से ज्यादा छात्र मुख्य प्रवाह में शामिल किये गये है, ऐसे बस्तिशालाओं को सरकार ने जिला परिषद

स्कूल में परिवर्तित (Converted) कर उसे नया नाम दिया जो नाविण्यपूर्ण स्कूल कहलाती है।''

1.8.3. शिक्षा का मुख्य प्रवाह

''जहां पर औपचारिक शिक्षा का निरंतर कार्य चलता है और छात्रों को एक कक्षा से अगली कक्षा में दाखिल करने की पूरी व्यवस्था होती है, उसे शिक्षा का मुख्य प्रवाह कहते हैं।''

1.8.4. शैक्षिक उपलब्धि

''जब हम उपलब्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते है कि, एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों ने क्या सीखा है, उसे शैक्षिक उपलब्धि कहते है।''

1.9 अध्ययन का सिमांकन

नंदुरबार जिला

शहादा तलोंदा अक्कलकुवा धडगाव नंदुरबार नवापूर

स्कूल का नाम	कक्षा	कुल स्कूल	कुल छात्र	चुने गए स्कूल	प्रतिदर्श
बस्तिशाला Bastishala	4थी	157	4064	22	100
नाविन्यपूर्ण स्कूल (Converted School)	4थी	69	1680	18	100
जिला परिषद स्कूल (Z.P.)	4थी	10	150	07	100

अक्कलकुवा तहसील (नंदूरबार जिला– महाराष्ट्र) में कुल 157 बस्तिशाला और 69 नाविण्यपूर्ण स्कूल जिला परिषदों की अनेक स्कूल है।

इनमें से 22 बस्तिशालाओं और 18 नाविण्यपूर्ण स्कूल और 07 (Z.P) जिला परिषद स्कूलों में ही यह परीक्षण किया गया है।

बस्तिशाला के कुल 4064 छात्रों तथा नाविण्यपूर्ण स्कूल के 1680 और जिला परिषद के 150 छात्रों में से केवल प्रत्येक स्कूल में से 100 छात्रों पर यह परीक्षण किया गया है।

भाषा, गणित, परिसर अभ्यास, कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा इन विषयों में से केवल भाषा और गणित विषय की उपलब्धि (Achievement) देखी गई है। कक्षा 1 से 4 तक सभी छात्रों में से केवल कक्षा-4 के छात्रों पर इसका प्रयोग किया गया है।

शिक्षा के मुख्य प्रवाह में भी कक्षा 1 से 10 तक के कक्षा के सभी छात्रों पर सर्वेक्षण (Survey) न होकर केवल कक्षा 5 से 7 तक के अन्य स्कूलों में भर्ती कराये गये स्कूलों में छात्रों की प्रगति (Progress) ठहराव (Attendance) का अध्ययय किया गया है।